

लण्डन डेवेलपमेंट डिपार्टमेंट-2/1  
2/1/1/1/1-500

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मेरठ।

वाद संख्या 194/2013  
हरीशचन्द्र मैना देवी मैमोरियल ट्रस्ट  
सोसायटी द्वारा सैक्रेट्री सीमांत जैन

धारा 143 जैड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट  
बनाम सरकार

ग्राम सालारपुर जलालपुर परगना तहसील व जिला मेरठ।

उप निर्णय :: 15-2/6/13


हरीशचन्द्र मैना देवी मैमोरियल ट्रस्ट सोसायटी 49 साकेत मेरठ द्वारा द्वारा सैक्रेट्री सीमांत जैन पुत्र श्री मोहित जैन निवासी ग्राम रजपुरा परगना तहसील व जिला मेरठ ने धारा 143 उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/संस्था के नाम ग्राम सालारपुर जलालपुर स्थित भूमि खसरा संख्या 401/1मि0 रकबा 0.2460 है0, खसरा संख्या 405मि0 रकबा 0.2280 है0, खसरा संख्या 522 रकबा 0.0380 है0, खसरा संख्या 524 रकबा 0.0890 है0, खसरा संख्या 526 रकबा 0.1010 है0, खसरा संख्या 527 रकबा 0.1010 है0, खसरा संख्या 528 रकबा 0.2280 है0, खसरा संख्या 529 रकबा 0.2400 है0, खसरा संख्या 525 रकबा 0.0890 है0, खसरा संख्या 386/1 रकबा 0.0350 है0, खसरा संख्या 409/1 रकबा 0.0240 है0, खसरा संख्या 411मि0 रकबा 0.0630 है0, खसरा संख्या 383/1 रकबा 0.0760 है0, कुल नम्बरान 13 कुल रकबा 1.5580 है0, लगानी 75.85/- रु0 एवं खाता संख्या 116 के खसरा संख्या 413मि0 रकबा 0.1350 है0, लगानी 6.60/- रु0 पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि में मौके स्कूल चल रहा है। भूमि में मौके पर कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, पशुपालन व कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं हो रहा है। प्रार्थी/संस्था ने उक्त भूमि को धारा 143 उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया है। प्रार्थी की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में ग्राम सालारपुर जलालपुर परगना तहसील व जिला मेरठ की उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1417 - 1422 फसली बावत खाता संख्या 00320, 00116 एवं स्थलीय फोटोग्राफ दाखिल किये गये हैं।

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर तहसील मेरठ से आख्या प्राप्त की गई, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। तहसीलदार मेरठ द्वारा दिनांक 04-05-2013 को उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 व नियम 135 के अन्तर्गत आख्या प्रस्तुत की गयी। आख्या में उल्लिखित किया गया है कि ग्राम सालारपुर जलालपुर स्थित भूमि खसरा संख्या 401/1मि0 रकबा 0.2460 है0, खसरा संख्या 405मि0 रकबा 0.2280 है0, खसरा संख्या 522 रकबा 0.0380 है0, खसरा संख्या 524 रकबा 0.0890 है0, खसरा संख्या 526 रकबा 0.1010 है0, खसरा संख्या 527 रकबा 0.1010 है0, खसरा संख्या 528 रकबा 0.2280 है0, खसरा संख्या 529 रकबा 0.2400 है0, खसरा संख्या 525 रकबा 0.0890 है0, खसरा संख्या 386/1 रकबा 0.0350 है0, खसरा संख्या 409/1 रकबा 0.0240 है0, खसरा संख्या 411मि0 रकबा 0.0630 है0, खसरा संख्या 383/1 रकबा 0.0760 है0, खसरा संख्या 413मि0 रकबा 0.1350 है0, लगानी 82.45/- रु0 पर हरीशचन्द्र मैना देवी मैमोरियल ट्रस्ट सोसायटी 49 साकेत मेरठ द्वारा द्वारा सीमांत जैन सैक्रेट्री के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है मौके पर कृषि अथवा कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं हो रहा है। तहसील आख्या में उक्त भूमि को धारा 143 जैड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने के सम्बन्ध में मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ से आपत्ति दाखिल करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मानचित्र की छायाप्रति से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ से मानचित्र स्वीकृत करा रखा है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त वर्णित भूमि खाता संख्या 00320 व 00116 हरीशचन्द्र मैना देवी मैमोरियल ट्रस्ट सोसायटी 49 साकेत मेरठ द्वारा सीमांत जैन सैक्रेट्री का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। तहसील आख्या दिनांक 04-05-2013 तथा नवशा नियम 135 उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था नियमावली से स्पष्ट है कि खाता संख्या 320 के खसरा संख्या 401/1मि0 रकबा 0.2460 है0, खसरा संख्या 405मि0 रकबा 0.2280 है0, खसरा संख्या 522 रकबा 0.0380 है0, खसरा संख्या 524 रकबा 0.0890 है0, खसरा संख्या 526 रकबा 0.1010 है0, खसरा संख्या 527 रकबा 0.1010 है0, खसरा संख्या 528 रकबा 0.2280 है0, खसरा संख्या 529 रकबा 0.2400 है0, खसरा संख्या 525 रकबा 0.0890 है0, खसरा संख्या 386/1 रकबा 0.0350 है0, खसरा संख्या 409/1 रकबा 0.0240 है0, खसरा संख्या 411मि0 रकबा 0.0630 है0, खसरा संख्या 383/1 रकबा 0.0760 है0, कुल नम्बरान 13, कुल रकबा 1.5580 है0, लगानी 75.85/- रु0 एवं खाता

क्र0शे0पु0सं0 2 पर



संख्या 116 के खसरा संख्या 413मि0 रकबा 0.1350 है0, लगानी 6.60/- रु0 स्कूल बना है, जो पुरानी आबादी है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध स्थलीय फोटोग्राफ से होती है। चूंकि उक्त भूमि कृषि कार्यों में प्रयोग नहीं की जा रही है। अतः यदि भविष्य में प्रश्रनगत भूमि का क्रय-विक्रय होता है, तो प्रश्रनगत भूमि को अकृषिक घोषित न करने पर राज्य सरकार को स्टाम्प राजस्व की हानि होगी। तहसील आख्या में प्रश्रनगत भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर तहसील आख्या दिनांक 04-05-2013 स्वीकार किये जाने योग्य है।

॥ आदेश ॥

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम सालारपुर जलालपुर स्थित भूमि खाता संख्या 00320 के खसरा संख्या 401/1मि0 रकबा 0.2460 है0, खसरा संख्या 405मि0 रकबा 0.2280 है0, खसरा संख्या 522 रकबा 0.0380 है0, खसरा संख्या 524 रकबा 0.0890 है0, खसरा संख्या 528 रकबा 0.1010 है0, खसरा संख्या 527 रकबा 0.1010 है0, खसरा संख्या 528 रकबा 0.2280 है0, खसरा संख्या 529 रकबा 0.2400 है0, खसरा संख्या 525 रकबा 0.0890 है0, खसरा संख्या 386/1 रकबा 0.0350 है0, खसरा संख्या 409/1 रकबा 0.0240 है0, खसरा संख्या 411मि0 रकबा 0.0630 है0, खसरा संख्या 383/1 रकबा 0.0760 है0, कुल नम्बरान 13, कुल रकबा 1.5580 है0, लगानी 75.85/- रु0 एवं खाता संख्या 00116 के खसरा संख्या 413मि0 रकबा 0.1350 है0, लगानी 6.60/- रु0 को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा परता लगान माफ किया जाता है। तहसील आख्या दिनांक 04-05-2013 एवं नक्शा-नियम 135 आदेश का अंग रहेंगे। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय-समय पर शासकीय संस्थाओं यथा मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद अथवा अन्य के द्वारा यदि कोई शर्तें/प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाए जाते हैं, जो इस पर पूर्णतः लागू होंगे तथा उक्त आदेश मेरठ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2021 को अतिक्रमित (Supersede) नहीं करेगा। यदि मेरठ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2021 के विपरीत यदि स्थल पर कोई कार्य किया जाता है, तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। आदेश की प्रति अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) मेरठ एवं उपनिबंधक, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए, तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक :-21-06-2013

Amrit 21/6/13  
(अरविन्द कुमार मिश्र)  
उप जिलाधिकारी,  
मेरठ।



आज यह निर्णय/आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।


दिनांक :-21-06-2013

Amrit 21/6/13  
(अरविन्द कुमार मिश्र)  
उप जिलाधिकारी,  
मेरठ।

स्टाम्प लागत पूरक ... 12-50  
द्वितीय प्रार्थना पत्र ... 21/6/13  
निर्णय नोटिस ... 21/6/13  
तेसरीय जारी करने की ... 21/6/13  
अधिकांश / उपनिबंधक द्वारा

सत्य प्रतिलिपि

देशाकार/अहलमद  
न्यायालय उप जिलाधिकारी  
मेरठ।



सत्य प्रतिनिधि सं- 718  
शुद्ध लक्षण- 500

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मेरठ।

वाद संख्या 195/2013  
हरीशचन्द मैना देवी मैमोरियल ट्रस्ट  
सोसायटी द्वारा सैक्रेट्री सीमांत जैन  
आदि

धारा 143 जैड0ए0 एण्ड एल0आर0 ऐक्ट  
बनाम सरकार

ग्राम सालारपुर जलालपुर परगना तहसील व जिला मेरठ।

सत्य प्रतिनिधि-निर्णय :: 80- 2/8/13

हरीशचन्द मैना देवी मैमोरियल ट्रस्ट सोसायटी 49 साकेत मेरठ द्वारा द्वारा सैक्रेट्री सीमांत जैन पुत्र श्री मोहित जैन, पिकी उर्फ अनिल कुमार, टीटू पुत्रगण संतोष, सुभाषचन्द पुत्र श्री महेन्द्र, योगेन्द्र सिंह पुत्रगण करतार सिंह, मामचन्द पुत्र जूंगर निवासीगण ग्राम रजपुरा परगना तहसील व जिला मेरठ ने धारा 143 उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण/संस्था के नाम ग्राम सालारपुर जलालपुर स्थित भूमि खाता संख्या 322 के खसरा संख्या 401/2 रकबा 0.0140 है0, खसरा संख्या 402/1 रकबा 0.0170 है0, खसरा संख्या 409/1मि0 रकबा 0.3790 है0, खसरा संख्या 405/2 रकबा 0.1260 है0, खसरा संख्या 408/2 रकबा 0.3160 है0, खसरा संख्या 509/3 रकबा 0.0530 है0, खसरा संख्या 414मि0 रकबा 0.0760 है0, खसरा संख्या 530/1 रकबा 0.1330 है0, खसरा संख्या 531 रकबा 0.0130 है0, खसरा संख्या 554/3 रकबा 0.1830 है0 व खाता संख्या 321 के खसरा संख्या 406/3मि0 रकबा 0.0340 है0, खसरा संख्या 412मि0 रकबा 0.1170 है0, खसरा संख्या 416मि0 रकबा 0.1010 है0, खसरा संख्या 517/1 रकबा 0.1520 है0, खसरा संख्या 521/2 रकबा 0.1520 है0 व खसरा संख्या 523/1 रकबा 0.1640 है0 पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त भूमि में मौके पर 20-25 वर्ष पुराना स्कूल बना हुआ है। भूमि में मौके पर कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, पशुपालन व कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं हो रहा है। प्रार्थीगण/संस्था ने उक्त भूमि को धारा 143 उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया है। प्रार्थीगण/संस्था की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में ग्राम सालारपुर जलालपुर परगना तहसील व जिला मेरठ की उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1417 - 1422 फसली बावत् खाता संख्या 00322, 00321, 00323 एवं स्थलीय फोटोग्राफ दाखिल किये गये हैं।

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर तहसील मेरठ से आख्या प्राप्त की गई, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। तहसीलदार मेरठ द्वारा दिनांक 04-05-2013 को उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 व नियम 135 के अन्तर्गत आख्या प्रस्तुत की गयी। आख्या में उल्लिखित किया गया है कि ग्राम सालारपुर जलालपुर स्थित भूमि खसरा संख्या 406/3मि0 रकबा 0.0340 है0, खसरा संख्या 412मि0 रकबा 0.1170 है0, खसरा संख्या 416मि0 रकबा 0.1010 है0, खसरा संख्या 517/1 रकबा 0.1520 है0, खसरा संख्या 521/2 रकबा 0.1520 है0, खसरा संख्या 523/1 रकबा 0.1640 है0, खसरा संख्या 409/1मि0 रकबा 0.3790 है0, खसरा संख्या 401/2 रकबा 0.0140 है0, खसरा संख्या 402/1 रकबा 0.0170 है0, खसरा संख्या 405/2 रकबा 0.1260 है0, खसरा संख्या 408/2 रकबा 0.3160 है0, खसरा संख्या 409/3 रकबा 0.0530 है0, खसरा संख्या 414मि0 रकबा 0.0760 है0, खसरा संख्या 530/1 रकबा 0.1330 है0, खसरा संख्या 531 रकबा 0.0130 है0, खसरा संख्या 554/3 रकबा 0.1830 है0, लगानी 80.60/- रु0 पर हरीशचन्द मैना देवी मैमोरियल ट्रस्ट सोसायटी 49 साकेत मेरठ द्वारा द्वारा सीमांत जैन सैक्रेट्री, पिकी उर्फ अनिल कुमार, टीटू पुत्रगण संतोष, सुभाषचन्द पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, योगेन्द्र सिंह पुत्रगण करतार सिंह, मामचन्द पुत्र जूंगर के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है मौके पर कृषि अथवा कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं हो रहा है। तहसील आख्या में उक्त भूमि खसरा संख्या 517/1 रकबा 0.1520 है0, खसरा संख्या 521/2 रकबा 0.1520 है0, खसरा संख्या 523/1 रकबा 0.1640 है0, खसरा संख्या 401/2 रकबा 0.0140 है0, खसरा संख्या 402/1 रकबा 0.0170 है0, खसरा संख्या 405/2 रकबा 0.1260 है0, खसरा संख्या 408/2 रकबा 0.3160 है0, खसरा संख्या 409/3 रकबा 0.0530 है0, खसरा संख्या 414मि0 रकबा 0.0760 है0, खसरा संख्या 530/1 रकबा 0.1330 है0, खसरा संख्या 531 रकबा 0.0130 है0, खसरा संख्या 554/3 रकबा 0.1830 है0, लगानी 80.60/- रु0 को धारा 143 जैड0ए0 एण्ड एल0आर0 ऐक्ट, के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी

उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने के सम्बन्ध में मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ से आपत्ति दाखिल करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की ओर कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत मानचित्र की छायाप्रति से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ से मानचित्र स्वीकृत करा रखा है।

क्र0शे0पु0सं0 2 पर



मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त वर्णित भूमि खाता संख्या 00321 व 00322 हरीशचन्द्र मैना देवी मैमोरियल ट्रस्ट सोसायटी 49 साकेत मेरठ द्वारा सीमांत जैन सैक्रेट्री पिंकी उर्फ अनिल कुमार, टीटू पुत्रगण संतोष, सुभाषचन्द्र पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, योगेन्द्र सिंह पुत्रगण करतार सिंह, मामचन्द्र पुत्र डूंगर निवासीगण ग्राम रजपुरा परगना तहसील व जिला मेरठ का नाम-बतौर सहसंक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। तहसील आख्या दिनांक 04-05-2013 तथा नक्शा नियम 135 उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था नियमावली से स्पष्ट है कि खाता संख्या 321 के खसरा संख्या 406/3मि0 रकबा 0.0340 है0, खसरा संख्या 412मि0 रकबा 0.1170 है0, खसरा संख्या 416मि0 रकबा 0.1010 है0, खसरा संख्या 517/1 रकबा 0.1520 है0, खसरा संख्या 521/2 रकबा 0.1520 है0 व खसरा संख्या 523/1 रकबा 0.1640 है0 कुल नम्बरान 6 कुल रकबा 0.7200 है0, लगानी 35.10/- रु0 एवं खाता संख्या 00322 के खसरा संख्या 401/2 रकबा 0.0140 है0, खसरा संख्या 402/1 रकबा 0.0170 है0, खसरा संख्या 405/2 रकबा 0.1260 है0, खसरा संख्या 408/2 रकबा 0.3160 है0, खसरा संख्या 409/3 रकबा 0.0530 है0, खसरा संख्या 414मि0 रकबा 0.0760 है0, खसरा संख्या 530/1 रकबा 0.1330 है0, खसरा संख्या 531 रकबा 0.0130 है0 व खसरा संख्या 554/3 रकबा 0.1830 है0, कुल नम्बरान 9 कुल रकबा 0.9310 है0, मालियत 45.50/- रु0 में ट्रांसलेम स्कूल बना है, जो पुरानी आबादी है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध स्थलीय फोटोग्राफ से होती है। चूंकि उक्त भूमि कृषि कार्यों में प्रयोग नहीं की जा रही है। अतः यदि भविष्य में प्रश्नगत भूमि का क्रय-विक्रय होता है, तो प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित न करने पर राज्य सरकार को स्टाम्प राजस्व की हानि होगी। तहसील आख्या में प्रश्नगत भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर तहसील आख्या दिनांक 04-05-2013 स्वीकार किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम सालाएपुर जलालपुर परगना तहसील व जिला मेरठ स्थित भूमि खाता संख्या 00321 के खसरा संख्या 406/3मि0 रकबा 0.0340 है0, खसरा संख्या 412मि0 रकबा 0.1170 है0, खसरा संख्या 416मि0 रकबा 0.1010 है0, खसरा संख्या 517/1 रकबा 0.1520 है0, खसरा संख्या 521/2 रकबा 0.1520 है0 व खसरा संख्या 523/1 रकबा 0.1640 है0 कुल नम्बरान 6 कुल रकबा 0.7200 है0, लगानी 35.10/- रु0 एवं खाता संख्या 00322 के खसरा संख्या 401/2 रकबा 0.0140 है0, खसरा संख्या 402/1 रकबा 0.0170 है0, खसरा संख्या 405/2 रकबा 0.1260 है0, खसरा संख्या 408/2 रकबा 0.3160 है0, खसरा संख्या 409/3 रकबा 0.0530 है0, खसरा संख्या 414मि0 रकबा 0.0760 है0, खसरा संख्या 530/1 रकबा 0.1330 है0, खसरा संख्या 531 रकबा 0.0130 है0 व खसरा संख्या 554/3 रकबा 0.1830 है0, कुल नम्बरान 9, कुल रकबा 0.9310 है0 मालियत 45.50/- रु0 को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा परता लगान माफ किया जाता है। तहसील आख्या दिनांक 04-05-2013 एवं नक्शा-नियम 135 आदेश का अंग रहेंगे। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय-समय पर शासकीय संस्थाओं यथा मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद अथवा अन्य के द्वारा यदि कोई शर्त/प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाए जाते हैं, जो इस पर पूर्णतः लागू होंगे तथा उक्त आदेश मेरठ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2021 को अतिक्रमित (Supersede) नहीं करेगा। यदि मेरठ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2021 के विपरीत यदि स्थल पर कोई कार्य किया जाता है, तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। आदेश की प्रति अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) मेरठ एवं उपनिबंधक, मेरठ को प्रत्येक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए, तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। पत्रावली बाद प्रत्येक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।



दिनांक :-21-06-2013

June 21/6/13  
(अरविन्द कुमार मिश्र)  
उप जिलाधिकारी,  
मेरठ।

आज यह निर्णय/आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक :-21-06-2013

**सत्य प्रतिलिपि**

पेशकार/अहलमद  
न्यायालय उप जिलाधिकारी  
मेरठ।

June 21/6/13  
(अरविन्द कुमार मिश्र)  
उप जिलाधिकारी,  
मेरठ।

